न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 134/2020

1. रविशचन्द पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी गढ़डा त0 भादरा।

:– वादी

ब नाम

1. सुलतान पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी गढ़डा त0 भादरा।
2. परसाराम पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी गढ़डा त0 भादरा।
3. चमेली पत्नी मनोहरलाल जाति जाट निवासी गढ़डा त0 भादरा।
4. उपासना पुत्री मनोहरलाल जाति जाट निवासी गढ़डा त0 भादरा।
5. अनु पुत्री मनोहरलाल जाति जाट निवासी गढ़डा त0 भादरा।
6. सुमित्रा पुत्री मनोहरलाल जाति जाट निवासी गढ़डा त0 भादरा।
7. अभयसिंह पुत्र मनोहरलाल जाति जाट निवासी गढ़डा त0 भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री सुरेन्द्र बैनीवाल : वादी
वकील श्री विनोद शर्मा : प्रतिवादीगण

दिनांक : 19/2/2021

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा बुढेर के खाता सं0 98/97 के खसरा सं0 197/1 की 0.936है0, खसरा सं0 256 की 3.035है0, खसरा सं0 259 की 1.821है0, खसरा सं0 261 की 2.643है0, कुल 8.435है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी 1 के नाम से 1/5 हिस्सा व रोही मोजा गढ़डा के खाता सं0 210/203 के खसरा सं0 44 की 10.787है0, खसरा सं0 91 की 1.631है0, खसरा सं0 96 की 2.922है0, खसरा सं0 124 की 0.860है0 कुल 16.200है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 सुलतान के नाम से 1/5 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। जो पहले प्रतिवादी सं 1 के पिता मघाराम की खातेदारी हुआ करती थी। मघाराम से विरासतन उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 सुलतान ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि में अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ [illegible] हो गये लिहाजा यही वनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर [illegible] रजिस्टर [illegible] होकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी [illegible] ता 7 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादीगण गण द्वारा राजीनामा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:33:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

Scanned with CamScanner

पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु रहिशचन्द पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी गढडा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम बुढेर संवत 2073–76 प्रदर्श 1, जमाबंदी रोही गढडा प्रदर्श 2, जमाबंदी खसरा मिलान संवत 2019 प्रदर्श 3, जमाबंदी खसरा मिलान रोही बुढेर प्रदर्श 4, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत गढडा 5 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने बुढेर व गढडा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 5 में वारिसप्रमाण पत्र में सुलतान के तीन पुत्र रहिशचंद्र, परसाराम व मनोहरलाल **(चुंकि मनोहरलाल की मृत्यू हो चुकी है मनोहर लाल के वारिसान में चमेली पत्नी मनोहरलाल तीन पुत्री सुमित्रा, उपासना, अनु व एक लडका अभयसिंह)** के अलावा अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। वाद भूमि रोही मोजा बुढेर के खाता सं0 98/97 के खसरा सं0 197/1 की 0.936है0, खसरा सं0 256 की 3.035है0, खसरा सं0 259 की 1.821है0, खसरा सं0 261 की 2.643है0, कुल 8.435है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी 1 के नाम से 1/5 हिस्सा व रोही मोजा गढडा के खाता सं0 210/203 के खसरा सं0 44 की 10.787है0, खसरा सं0 91 की 1.631है0, खसरा सं0 96 की 2.922है0, खसरा सं0 124 की 0.860है0 कुल 16.200है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 सुलतान के नाम से 1/5 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में से वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 को संयुक्त रूप से 3/20 व प्रतिवादी सं0 3 व 7 को संयुक्त रूप से 1/20 हिस्सा बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें। चूकिं प्रतिवादी सं 4 ता 6 ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी सं0 3 व 7 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा बुढेर के खाता सं0 98/97 के खसरा सं0 197/1 की 0.936है0, खसरा सं0 256 की 3.035है0, खसरा सं0 259 की 1.821है0, खसरा सं0 261 की 2.643है0, कुल 8.435है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी 1 के नाम से 1/5 हिस्सा व रोही मोजा गढडा के खाता सं0 210/203 के खसरा सं0 44 की 10.787है0, खसरा सं0 91 की 1.631है0, खसरा सं0 96 की 2.922है0, खसरा सं0 124 की 0.860है0 कुल 16.200है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 सुलतान के नाम से 1/5 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में से वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 को संयुक्त रूप से 3/20 व प्रतिवादी सं0 3 व 7 को संयुक्त रूप से 1/20 हिस्सा बहिंस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादी सं0 4 ता 6 ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी सं0 3 व 7 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:33:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कर्मचारी
(फास्ट ट्रेक) आदेश

Scanned with CamScanner

उपरोक्तानुसार वादी रहिशचंद व प्रतिवादी सं0 1 सुलतान, प्रतिवादी सं0 2 परमाराम, प्रतिवादी सं0 3 चमेली व प्रतिवादी सं0 7 अमरसिंह को हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19/2/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:33:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 134/2020

1. रहिशचन्द्र पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी गढडा त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1. सुलतान पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी गढडा त0 भादरा।
2. परसाराम पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी गढडा त0 भादरा।
3. चमेली पत्नी मनोहरलाल जाति जाट निवासी गढडा त0 भादरा।
4. उपासना पुत्री मनोहरलाल जाति जाट निवासी गढडा त0 भादरा।
5. अनु पुत्री मनोहरलाल जाति जाट निवासी गढडा त0 भादरा।
6. सुमित्रा पुत्री मनोहरलाल जाति जाट निवासी गढडा त0 भादरा।
7. अभयसिंह पुत्र मनोहरलाल जाति जाट निवासी गढडा त0 भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री सुरेन्द्र बैनीवाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री विनोद शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा बुढेर के खाता सं0 98/97 के खसरा सं0 197/1 की 0.936है0, खसरा सं0 256 की 3.035है0, खसरा सं0 259 की 1.821है0, खसरा सं0 261 की 2.643है0, कुल 8.435है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी 1 के नाम से 1/5 हिस्सा व रोही मोजा गढडा के खाता सं0 210/203 के खसरा सं0 44 की 10.787है0, खसरा सं0 91 की 1.631है0, खसरा सं0 96 की 2.922है0, खसरा सं0 124 की 0.860है0 कुल 16.200है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 सुलतान के नाम से 1/5 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में से वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 को संयुक्त रूप से 3/20 व प्रतिवादी सं0 3 व 7 को संयुक्त रूप से 1/20 हिस्सा बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादी स0 4 ता 6 ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी सं0 3 व 7 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी रहिशचंद्र व प्रतिवादी सं0 1 सुलतान, प्रतिवादी सं0 2 परसाराम, प्रतिवादी सं0 3 चमेली व प्रतिवादी सं0 7 अभयसिंह को हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड [illegible] रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 19/2/2021 को [illegible] कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:33:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)
(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

FORM NO. 6

Government of Rajasthan

Directorate of Economics & Statistics

DEATH CERTIFICATE

(Issued under Section 12/17 of the Registration of Births and Deaths Act,1969 and Rule 8/13 of the Rajasthan Registration of Births and Deaths Rules, 2000)

This is to certify that the following information has been taken from the original recod of death which is the register for (Local area / Local body)........ of Tehsil / Block....... of District........ of State / Union Territory

नाम/Name : मनोहर लाल

मृतक का आधार नंबर /Deceased Aadhar No :

मृत्यु की तिथि / Date of Death 05/04/2017

माता का नाम / Name of Mother : हरदेई

माता का आधार नंबर /Mother Aadhar No :

पिता/पति का नाम / Name of Father/husband : सुल्तान सिंह

पिता/पति का आधार नंबर / Father/Husband Andhar No :

मृतक का मृत्यु के समय का पता :

Address of Deceased at the time of death :

गड्डा / गड्डा / भादरा / हनुमानगढ़ / राजस्थान

लिंग/Sex पुरुष

मृत्यु का स्थान/Place of Death :

गड्डा

मृतक का स्थायी पता :

Permanent Address of the deceased :

गड्डा / गड्डा / भादरा / हनुमानगढ़ / राजस्थान

रजिस्ट्रीकरण संख्या / Registration No.

081000047200306000007 / 2017

Remarks If Any:

रजिस्ट्रीकरण की तारीख / Date of Registration

20/04/2017

Signature valid

जारी करने की तारीख / Date of Issue :

जारी करने वाले प्राधिकारी का पता / Address of Issuing Authority

Certificate can be tracked on http://pehchan...

Software Courtesy National Informatics Centre (NIC), Rajasthan

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:33:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner